

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, कोटा

दूरभाष नं०, 0744-2472355, 2472216

श्रीनाथपुरम फायर स्टेशन आपातकालीन नं. 101, 0744-2392201

क्रमांक :- ननिको/फायर/2016/

दिनांक :-

प्रेषित :-

श्रीमान आयुक्त महोदय,
नगर निगम कोटा।

विषय:- मैसर्स यू0आर0एस0 गहना, के निदेशक श्री ओ0पी0 सोनी, शॉपिंग सेन्टर कोटा द्वारा उनके भू0सं0 सी0पी0 4-ए इन्द्राविहार आवासीय योजना कोटा में बहुमंजिला इमारत निर्माण हेतु अस्थाई अभिशंषा पत्र बाबत।

प्रसंग:- इस कार्यालय के पत्रांक ननिको/फायर/2011/280 दिनांक 27.10.11 एवं मैसर्स यू0आर0एस0 गहना, के निदेशक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.16 के क्रम में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री/मैसर्स यू0आर0एस0 गहना, के निदेशक श्री ओ0पी0 सोनी, शॉपिंग सेन्टर कोटा ने दिनांक 09.11.16 को इस विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पूर्व में जारी इस कार्यालय के पत्रांक ननिको/फायर/2011/280 दिनांक 27.10.11 से भू0सं0 सी0पी0 4-ए इन्द्राविहार आवासीय योजना कोटा की बहुमंजिला इमारत (रिहायशी/व्यावसायिक) पूर्व में सलग्न नक्शे अनुसार निर्माण कार्य करवाये जाने की अस्थाई अभिशंषा जारी की गई थी। भवन/परिसर की ऊँचाई 45 मीटर तक बढ़ाते हुए निर्माण कार्य करवाये जाने की पुनः आवेदक द्वारा इस विभाग से अभिशंषा चाही गई है। इस क्रम में मौका निरीक्षण किया गया एवं अग्निशमन की दृष्टि से इमारत निर्माण की अस्थाई अभिशंषा की जाती है, परन्तु प्रार्थी मैसर्स यू0आर0एस0 गहना, के निदेशक श्री ओ0पी0 सोनी, शॉपिंग सेन्टर कोटा को निम्न शर्तों का पालना करनी होगी :-

1. भवन/इमारत का निर्माण नगर विकास न्यास/रीको/नगर निगम कोटा की स्वीकृति के अनुसार प्रचलित नियमों के तहत करवाया जाना होगा।
2. भवन/इमारत में फायर हाइड्रेंट, वेट-राइजर सिस्टम मय होज रील, होज-पाइप आदि, आपातकालीन बचाव की सीढ़ियाँ, स्प्रिंकलर सिस्टम, पम्प रूम, स्मोक डिटेक्टर, फायर एलार्म सिस्टम, आग बुझाने के लिये ओवर हेड एवं अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक मोड्यूलर, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्यूशर आदि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित किये जाने होंगे।
3. भवन/इमारत के चारों ओर अग्निशमन वाहन की सरलता से पहुँच हेतु पर्याप्त खुला स्थान नियमानुसार उपलब्ध करवाया जाना होगा।
4. भवन की अधिकतम ऊँचाई 44.5 मीटर से अधिक स्वीकृत नहीं की जावे।
5. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारों ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को प्रभावित स्थान तक पहुँचने हेतु व चारों तरफ घुमने व कार्य करने के लिए खाली स्थान (गलीयारा) रखना होगा।
6. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन केन्द्र पहुँचे इसके लिए स्वचालित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
7. अस्थाई अग्निशमन अभिशंषा के स्वीकृत नक्शे में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि संबंधी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस संबंध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे उनका टेस्ट व निरीक्षण निम्न हस्ताक्षरकर्ता से करवाकर अस्थाई अग्निशमन अभिशंषा पत्र जारी होने के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थाई अग्निशमन अभिशंषा पत्र प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

क्रमशः.....

9. भवन में धुआं निकासी के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप वेन्टीलेशन की उचित व्यवस्था करनी होगी।

10. आवेदक को फायर शुल्क या अन्य कोई शुल्क बकाया रह जाता है तो संबंधित निकाय में जमा करवाना होगा अन्यथा अग्निशमन अभिशंषा निरस्त कर दी जावेगी।

भवन/इमारत में स्थापित किए गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण सदैव सही व कार्यशील अवस्था में रखने होंगे एवं कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र/उपकरणों को उपयोग में लेने हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी होना आवश्यक है। यह अस्थाई अभिशंषा पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता है तो अवधि को बढ़ावाये जाने हेतु अग्निशमन विभाग में पुनः नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं अस्थाई अभिशंषा पत्र अवधि समाप्ति पश्चात स्थाई अग्निशमन अभिशंषा पत्र लेना अनिवार्य होगा एवं यदि कोई अग्निशमन प्रावधानों में त्रुटि/कमी पाई जाती है तो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत भवन को सील किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम कोटा

दिनांक :- 28.11.16

क्रमांक :- ननिको/फायर/2016/ 838
प्रतिलिपि :-

1. मैसर्स यू0आर0एस0 गहना, के निदेशक श्री ओ0पी0 सोनी, शॉपिंग सेन्टर कोटा

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम कोटा